

प्रेषक,

रिधिम अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेंट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक फरवरी, 2023

विषय:-होमगार्ड्स विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अवैतनिक अधिकारियों (प्लाटून कमाण्डर, सहायक कम्पनी कमाण्डर एवं कम्पनी कमाण्डर) प्रतिमाह देय मानदेय के पुनरीक्षित किये जाने की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपयुक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-04/2023 "अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर का मानदेय रू0 1,000/- से रू0 1,500/- प्रतिमाह, अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर का मानदेय रू0 1,200/- से रू0 1,700/- प्रतिमाह एवं अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर का मानदेय रू0 1,500/- से रू0 2,000/- प्रतिमाह किया जायेगा" के सम्बंध में होमगार्ड्स मुख्यालय के पत्र संख्या-सीजी-206/हो0गा0/2015/5632 दिनांक-26.01.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु होमगार्ड्स विभाग के अवैतनिक अधिकारियों का प्रतिमाह मानदेय निम्नानुसार पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	पदनाम	पुनरीक्षित मानदेय (रू0 में)
1.	अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर	1,500/-
2.	अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर	1,700/-
3.	अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर	2,000/-

2- इस सम्बंध में होने वाला आय-व्ययक के अनुदान संख्या-6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-107-होमगार्ड्स-03-सामान्य अधिष्ठान के सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त पुनरीक्षित दरें दिनांक-01.03.2023 से प्रभावी होंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के उपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by Ridhim Aggarwal

भवदीया,

Date: 27-02-2023 15:36:09

(रिधिम अग्रवाल)

विशेष सचिव।